पत्रांक–अ0स0क0–09–09–अनुदान–06/2022 ....

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मो० इबरार आलम भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य चिन्हित प्रखंडों/नगर निकायों में अल्पसंख्यक संवाद एवं अल्पसंख्यक छात्रावास में अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियावयन हेतु रू० 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के माध्यम से संबंधित जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार राशि विमुक्ति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक– 02.01.2025 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति एवं दिनांक– 03.01.2025 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य चिन्हित प्रखंडों/नगर निकायों में अल्पसंख्यक संवाद एवं अल्पसंख्यक छात्रावास में अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियावयन हेतु ₹1100.00 लाख (ग्यारह करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के माध्यम से संबंधित जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार राशि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. स्वीकृत योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका स्वीकृत है। मार्गदर्शिका के अनुरूप अल्पसंख्यक संवाद एवं अल्पसंख्यक छात्रावास में अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम के संचालन एवं अनुश्रवण किया जायेगा **(मार्गदर्शिका संलग्न)**।

3. स्वीकृति अन्तर्गत अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को केन्द्र तथा राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दिया जाना, उनसे उनकी आकांक्षाओं तथा सरकार से उनकी अपेक्षाओं से अवगत होना साथ ही आम–जनों के बीच सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की योजनाओं से अवगत कराने हेतु उन्हीं के बीच जाकर संवाद करने की आवश्यकता के आलोक उनके विभिन्न क्षेत्रों के विकासोन्मुख कार्यों हेतु योजना क्रियान्वित कर उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर को राष्ट्रीय स्तर के समरूप किया जा सके।

4. उक्त स्वीकृति में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम एवं अल्पसंख्यक छात्रावास अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु जिला के अनुमोदित दर के आधार पर प्रति कार्यक्रम संभावित व्यय ₹2,00,000.00 रूपये (दो लाख रूपये) मात्र आकलित की गई है। इस प्रकार योजना के संचालन पर संभावित कुल भारित व्यय रू 11,00,000,00.00 रूपये (ग्यारह करोड़ रूपये) मात्र परिकलित कुल राशि विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के

PL खाते में अंतरित की जायेगी। निगम द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य चिन्हित् प्रखंडों के चयनित स्थलों से प्राप्त मांग/अधियाचना के आलोक में संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. स्वीकृत राशि राज्य स्कीम के मांग सं०–30 अंतर्गत मुख्यशीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 04– अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 102–आर्थिक विकास, उपशीर्ष 0101– अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना के अधीन 21 01 सामग्री एवं पूर्तियां विषयशीर्ष के अतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 30–2225041020101 है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। स्वीकृत राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के PL खाता में निम्नवत् अंतरित की जायेगी :–

   (i) Account Type- PLA
   (ii) Deposit Account Name- M.D.B.S.M.F. CORPORATION
   (iii) Deposit Account No. - PTSPLA008

7. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

8. स्वीकृत्यादेश में वर्णित आवंटन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहमति संचिका संख्या– अ0स0क0–09–09–अनुदान–06–2022 के पृष्ठ–......83....../टि० पर प्राप्त है।

9. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निहित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा।

10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं अन्य सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

11. इस योजनान्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक– 4989/वि0 (2) दिनांक– 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन अनिवार्य होगा।

12. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355/वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

11. स्वीकृत राशि का व्यय/उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि० के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह०/–
(मो० इबरार आलम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : ....   पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : .... अ०क०-09-09-अनुदान-06/2022-531 पटना, दिनांक 10.01.2025

प्रतिलिपिः— सहायक निदेशक—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (दो प्रति में)/आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/2025
सरकार के अपर सचिव

E:\Ibadatgah-Hostel 16june, 2017\9\09-09-Anudan-06-2022\s. order.docx